न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 66/2021 GCMS 2021/77

प्रार्थी

1. हेमाराम पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. संगीता पत्नी सुशील कुमर ब्राहम्ण निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
2. अर्जुनलाल पुत्र छगनलाल जाति पुरोहित निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
3. प्रकाशचन्द पुत्र छगनलाल जाति पुरोहित निवासी चितवा तहसील कुचामनसिटी
4. बनवारीलाल पुत्र छगनलाल जाति पुरोहित निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
5. भींवाराम पुत्र छगनलाल जाति पुरोहित निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी
6. परमानन्द पुत्र पाबुदान जाति पारीक निवासी बरवाला तहसील मकराना
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी
8. बैंक मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चितावा

प्रार्थना–पत्र बाबत रास्ता दिलवाने अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी 1 की ओर से।
श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं.3 से 5 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 30-01-2023

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 657, 658, 659 में आई हुई है जिस पर प्रार्थी लगातार एवं निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करता आ रहा है, जिससे प्रार्थी कृषि कार्य कर अपनी आजिविका चलाता है, चितावा के खसरा नम्बर 674 व 673 प्रार्थी के खसरा नम्बर 657, 658, 659 से लगते हुये ही है व खसरा नम्बर 674, 673 के पूर्वी तरफ से लगते हुये एक रास्ता लगता है जो कि आगे जाकर मुख्य सड़क में मिल जाता है, उक्त रास्ते बाबत तत्कालीन खातेदार पाड़ासियो ने एक इकरारनामा 01.10.1991 को आपसी सहमति से किया गया था, उक्त रास्ते की चौड़ाई 11 फुट 8 इंच व लम्बाई 238 फुट इकरारनामें में तय की गई थी, उक्त रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 ता 6 ने मिलकर बन्द करने पर आमदा है तथा उक्त रास्ते के एवज में प्रार्थी द्वारा हिस्सेवार भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 6 को दे दी गई है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है, जिस बाबत रास्ता कायम करने हेतु अन्तर्गत धारा 131 आर.टी.एक्ट 1955 बउनवान तहसीलदार बनाम संगीता जिसके प्रार्थना–पत्र संख्या 81/20न्यायालय के समक्ष [illegible] है, जिसमें प्रार्थीगण रास्ते को कायम होने से हमेशा कुछ न कुछ अडंगा [illegible] उत्पन्न करते है जिस बाबत पटवारी हल्का चितावा की 17.08.2020 को [illegible] पेश की गई जिसमें रास्ता ए टू बी प्रस्तुत है जिसकी नकल प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की है, चितावा के खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

657, 658, 659 की भूमि में जाने का रास्ता खसरा नम्बर 673 मे प्रवेश कर खसरा नम्बर 673 के पूर्वी सीमा के सहारे सहारे चलते हुये रास्ता खसरा नम्बर 673 की अन्तिम सीमा पर समाप्त होता है, उक्त खसरा नम्बर 657, 658, 659 के पश्चिमी सीमा की तरफ लगता है, जो कि प्रार्थना–पत्र में नक्शा ट्रेस पेश किया है, जिसमें डोट डोट से रास्ता दर्शित किया गया है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि मौजूदा रास्ता को इकररानामा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम कराया जावे व रास्ता तरमीम करने हेतु अप्रार्थी सं. 7 को आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत किया, अप्रार्थी सं. 2, 6, 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी सं. 3, 4, 5 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया, अप्रार्थी सं. 7 ने उपस्थित होकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 657, 658, 659 में प्रार्थी सहखातेदार दर्ज चला आ रहा है उसके पड़ौस में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 674 चली आ रही है जबकि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 657 रकबा 3.53 हैक्टर में से प्रार्थी 349/350 वॉ हिस्से का सहखातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है व खसरा नम्बर 658, 659 कुल रकबा 3.53 हैक्टर में से प्रार्थी स्वयं 1/3 हिस्से का काबिज खातेदार कृषक चला आ रहा है व खसरा नम्बर 657 में लगते हुए ही खसरा नम्बर 658, 659 लगती हुई एक ही चक में स्थित चली आ रही है जबकि प्रार्थी का स्वयं का खेत खसरा नम्बर 657, 658, 659 एक ही सहखातेदारी में दर्ज चला आ रहा है और खसरा नम्बर 657 रास्ते में सड़क पर ग्राम चितावा–घाटवा सड़क मार्ग अवस्थित है फिर भी नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से खसरा नम्बर 674 जो कि मुझ अप्रार्थी उतरंदाता की भूमि है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिज है, उक्त भूमि में खसरा नम्बंर 674 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.3236 हैक्टर भूमि का तत्कालीन काबिज खातेदार रितिक कुमार गोद पुत्र भगवानदास जाति पुरोहित चितावा से दिनॉक 02.07. 2018 को भूमि 416/1225 वॉ हिस्सा जो रहा है दिनॉक 23.01.2019 को जरिये विक्रय पत्र तत्कालीन बाजार भाव से अप्रार्थी बाजार भाव से उत्तरदाता ने खरीद किया है, अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किसी प्रकार की कोई लिखावट व इकरारनामा नही किया गया है, उक्त भूमि की पटवारी द्वारा मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो कि सरासर प्रार्थी से मिलीभगत करके बनाई गई है जबकि प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 657, 658, 659 एक ही सींव जोड़ है खसरा नम्बर 657 जो कि सड़क मार्ग पर स्थित है तो रास्ते का कोई प्रावधान ही नही बनता है, प्रार्थी का खसरा नम्बर 657 स्वयं के कब्जा व खातेदारी का खेत है, प्रार्थना–पत्र के पैरा सं. 2 में स्वयं प्रार्थी ही वर्णन कथन कर रहा है कि खसरा नम्बर 657, 658, 659 की प्रार्थी की लगातार एवं निर्बाध रूप से कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

चला आ रहा है तो उसको कौन रोकता है, आने–जाने में इस प्रकार नाजायज परेशान करके व अप्रार्थी पर दबाब बनाता है कि नाजायज परेशान करते रहने से यह भूमि प्रार्थी को बेचान कर देवें इसलिए यह प्रार्थी अपनी पहुंच वाला बताता है, प्रार्थी का स्वयं का खेत खसरा नम्बर 657, 658, 659 में स्वयं काबिज खातेदारी का खेत है जिसमें खसरा नम्बर 657 चितावा–घाटवा सड़क पर स्थित चला आ रहा है जबकि खसरा नम्बर 673, 667 के सहखातेदार अप्रार्थी सं. 2 ता 6 सहखातेदार दर्ज चले आ रहे है जिसमें खसरा नम्बर 667 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे कटाणी रास्ता मौजूद है व खसरा नम्बर 673 एक ही रकबा एव एक ही चक में स्थित चला आ रहा है अप्रार्थी सं. 2 ता 6 ने अपनी ढ़ाणी खसरा नम्बर 667 के दक्षिणी सीमा के पास बना रखी है जहा तक रास्ता कायम कर रखा है व खसर नम्बर 673 की सीमा व खसरा नम्बर 667 की सीमा एक ही लगती है व अप्रार्थी सं. 2 ता 6 ही काबिज खातेदार कृषक चले आ रहे है जिनके भी खसरा नम्बर 667 की उत्तरी सीमा पर रास्ता स्थित कटाणी चला आ रहा है खसरा नम्बर 673 के प्रार्थी न तो खातेदार है न ही सहखातेदार है तो उनको उक्त अधिकार खसरा नम्बर 673 में रास्ता मांगने का नही है जबकि प्रार्थी स्वयं अपने कथनो में यह कहते आ रहे है कि खसरा नम्बर 657, 658, 659 उसकी स्वयं ककी काबिज खातेदारी की भूमि दर्ज चली आ रही है तो खसरा नम्बर 674, 673 में किस अधिकार से रास्ते की मांग कर सकता है अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी रास्ता बाबत खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी 3 ता 5 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि तथाकथित इकरारनामा उनके पिताजी द्वारा किया गया था जिस कारण से रास्ता आज मौके पर स्थित है जो रेकार्ड में अमल दरामद नही हुआ है, अप्रार्थी को किसी मुआवजा राशि की आवश्यकता नही है और रेकार्ड में रास्ता तरमीम किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नही है। अप्रार्थी 3 ता5 अपनी भूमि में से चाही गई रास्ते की भूमि राजी खुशी देने के लिए सहमत है।

तहसीलदार कुचामनसिटी ने अपने पत्रांक/भू.अ./2021/251ए/01 दिनॉक 13.09.2021 को प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 658ख 659 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 675 गै.मु.सड़क से आने जाने के लिए खसरा नम्बर 674 की पूर्वी सीमा के सहारे जो डोटेड लाईन से कदीमी रास्ता बना हुआ है व मौके पर कंकरीट डालकर रास्ता चालू है जो मौके पर 74 फिट लम्बा व 4 मीटर चौड़ा है जो आगे चलकर खसरा नम्बर 657 में से 32 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा कदीमी रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 673 की सीमा तक चालू है व खसरा नम्बर 673 व 659 के [illegible] में खसरा नम्बर 667 की उत्तरी सीमा पर रास्ता चालू है जिसकी लम्बाई खसरा नम्बर 667 में 673 [illegible] कुल लम्बाई 310 मीटर मौके पर है जिसमे से खसरा नम्बर 658, 659 व 673 में आने जाने के लिए नजदीकी रासता खसरा नम्बर 674 में से ही है जो मौके पर कंकरीट डालकर कदीमी चालू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है अप्रार्थी वकील ने प्रस्तुत जवाब को दोहराया है। उपलब्ध रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड की नकलो का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी अनुसार खसरा नम्बर 674 संगीता पत्नी सुशील कुमार की सेपरेट खातेदारी दर्ज चली आ रही है तथा खसरा नम्बर 657 प्रार्थी हेमाराम गायत्रीदेवी मुकेश मदनलाल मन्जूदेवी महेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार सन्जूदेवी हंसराज की संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज चली आ रही है,खसरा नम्बर 658, 659 में महेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार हेमाराम खातेदार दर्ज है, प्रस्तुत इकरारनामा लिखित में अप्रार्थी सं. 1 संगीता की किसी प्रकार से सहमति इत्यादि नही है, प्रार्थी हेमाराम की स्वयं की खातेदारी सहखातेदारान के साथ भूमि खसरा नम्बर 657 चितावा–घाटवा राजमार्ग पर स्थित है तथा खसरा नम्बर 658, 659 में भी प्रार्थी हेमाराम सह खातेदार है, इस प्रकार जब प्रार्थी की भूमि राजमार्ग पर स्थित है जो रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का कोई औचित्य नही रह जाता। जबकि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मूल उद्देश्य उन खातेदारो के लिए बनाया गई है जिनके कृषि जोत मे आने जाने का कोई विकल्प नही है तथा भूमि की सिंचाई इत्यादि के लिए पाईप लाईन ली जानी हो। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 674 एवं 657 दोनो ही राजमार्ग पर स्थित है तथा प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 657 में दर्ज चली आ रही है। अतः प्रार्थना–पत्र किसी भी दृष्टि से साबित नही है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से काबिल खारिज है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी रास्ता बाबत साबित नही होने से खारिज कियाता है।

आदेश आज दिनॉक 30/01/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:21 IST
Reason: SelfAttested